



कार्यालय, नगर पंचायत, लातेहार

जिला- लातेहार
विज्ञापन संख्या- 03/2016-17
संविदा में नियुक्ति



विभागीय पत्रांक-2039 दिनांक- 19.03.2012 एवं पत्रांक 3502 दिनांक-01.07.2016 के आलोक में लातेहार नगर पंचायत कार्यालय का लेखा संधारण दोहरी लेखा प्रणाली (Accrual Based Double Entry Accounting System) के द्वारा करने हेतु लातेहार नगर पंचायत में संविदा के आधार पर लेखापाल (Accountant) का नियोजन हेतु निम्नवत् रूप से आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

क्रमांक	पदनाम	कुल पद	एकमुश्त मानदेय राशि
01	लेखापाल (Accountant)	01 (एक)	15000/- (पन्द्रह हजार रुपये प्रतिमाह)

संविदा शर्तों के आधार पर उपर्युक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक आवेदक अपना आवेदन स्वयं तैयार करते हुये अपना बायोडाटा, जन्म प्रमाण-पत्र, सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, सभी अंक प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, दो पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ एवं Self Addressed Envelope with postage Stamp के साथ आवेदन दिनांक 30.07.2016 के 05:00 बजे तक नगर पंचायत, लातेहार के कार्यालय को निर्बंधित डांक द्वारा समर्पित कर सकते हैं।

नियोजन/नियुक्ति से संबंधी अहर्ता एवं शर्त निम्नलिखित है :-

1. Qualification & Experience of Accountant :-

- The Candidate should have graduate degree in commerce/CA Inter/ICWAI Inter Pass from a recognized university with experience of tally based computerized accounting system.
 - He must have prepared computerized books of accounts through tally software of reputed company/organization
 - The candidate should be less than 45 years of age.
 - The candidate should have good communication skill and exposure to valuation of assets and capable of preparing requisite books of accounts on the instruction of Chartered Accountant.
- आवश्यकतानुसार प्राप्त आवेदन पत्रों को योग्यता एवं अनुभव के आधार पर Short Listing की जा सकती है। तदोपरान्त योग्य आवेदक को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
 - आमंत्रित आवेदकों का चयन गठित साक्षात्कार चयन समिति के द्वारा किया जायेगा।
 - यह नियोजन एक वर्ष के लिए की जायगी। भाविष्य में आवश्यकतानुसार दक्षता एवं कार्य क्षमता पर सेवा विस्तारित भी की जा सकती है।
 - संविदा/मानेदय के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे और सरकारी सेवक के अनुमान्य किसी भी सुविधा के लिए हकदार नहीं होंगे।
 - संविदा/मानेदय के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
 - नियोजन के पूर्व नियमानुसार आवेदक को अपना अद्यतन स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना होगा जो सक्षम स्तर से निर्गत हो।
 - यदि समय की समाप्ति के पूर्व उसका विस्तार नहीं किया जाता है तो ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
 - इस प्रकार के नियोजन संविदा अवधि समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा सूचना देकर ही एक माह की संविदा राशि एकमुश्त भुगतान कर समाप्त की जा सकती है। इसके लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।
 - आवेदक को आवेदन पत्र के साथ 500.00 (पांच सौ) ₹ का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक जो कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, लातेहार के पदनाम से भारतीय स्टेट बैंक, लातेहार में देय हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 - बिना कारण बताये नियोजन की स्वीकृति/रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

कार्यापालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, लातेहार।

